कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2023–24 / 20 दिनांक :– 12-04-2023

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
....

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में संवेतन आदि विपत्रों के आहरण के संबंध में।
प्रसंगः– वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक प. 4(1)वित्त–1(1)आ.व्य. / 2023 जयपुर, दिनांक 31.03.2023

––0––

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर ने अपने प्रासंगिक परिपत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को वर्ष 2023–24 में स्वीकृत बजट प्रावधान को नियमानुसार उपयोग करने की अधिकृति जारी की हैं। अतः विभाग के सभी अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को संवेतन सहित अन्य उपमदों में गत वर्ष की भांति ही नियमानुसार व्यय करने के लिए अधिकृत किया जाता हैं। राशि का व्यय करते समय निम्न निर्देशों की पालना की जावें–

1. वित्त विभाग के निर्देशानुसार राजकीय व्यय की समान गति बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हैं कि बजट मदों के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान को प्रत्येक माह में समानुपातिक रूप से व्यय किया जावें।
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(57)वित्त–1(1)आ.व्यय / 2022 दिनांक 30.08.2022 के परिशिष्ट 05 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 से माध्यमिक शिक्षा विभाग की मांग संख्या 24 के स्थान पर मांग संख्या 21 निर्धारित की गई हैं। अतः कार्यालय / विद्यालय में पूर्व में जो मद मांग संख्या 24 में संचालित थे, वे अब मांग संख्या 21 के अन्तर्गत रहेगें।
3. अधीनस्थ कार्यालय को जहां पर किराये का वाहन रखे जाने की स्वीकृति जारी की हुई हैं, उनके लिए वाहन किराये का भुगतान अब वर्ष 2023–24 से नवीन लेखामद 2202–02–001–01–00 (राज्य निधि) के उपमद 36–वाहन किराया से किया जाना हैं।
4. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग एवं उपनिदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा, उपनिदेशक (समाजशिक्षा) एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) अपने कार्यालय के लिए जल एवं विद्युत के दावों का चुकारा लेखामद 2202–02–001–02–01 (राज्य निधि) के उपमद 19–विद्युत प्रभार एवं जल व्यय से करेगें, जिसके लिए पूलमद में बजट प्रावधान उपलब्ध हैं।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय अपने कार्यालय के जल एवं विद्युत के बिलों का चुकारा लेखामद 2202–02–101–01–00 (राज्य निधि) के उपमद 19–विद्युत प्रभार एवं जल व्यय से करेगें, जिसके लिए पूलमद में बजट प्रावधान उपलब्ध हैं।
6. समस्त आहरण वितरण अधिकारी गत वर्ष की भांति ही संवेतन, यात्रा व्यय, **RRT** (भवन किराया) के उपमदों के वास्तविक व्यय के आधार पर व्यय करने के लिए अधिकृत होगें।
7. अधीनस्थ उमावि विद्यालय संबंधित लेखामद के उपमद 05–कार्यालय व्यय में निदेशालय की स्वीकृति / अधिकृति के अनुरूप ही व्यय कर सकेगें।
8. अधीनस्थ कार्यालय / विद्यालयों में जिन शिक्षकों / कार्मिकों के **RKCL-RSCIT Course** किया हुआ हैं, उसका पुनर्भरण करने के लिए संबंधित कार्यालय / विद्यालय शालादर्पण पर विकसित नये मॉड्युल / युटिलिटि में अपनी मांग दर्ज करेगें। निदेशालय द्वारा स्वीकृति के अनुसार ही व्यय करेगें।
9. उपमद 37–वर्दियां, 33–प्रयोगशाला में गत वर्ष के भांति ही शाला दर्पण पर निर्धारित मॉड्युल में मांग की जा सकेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य सभी उपमदों मे निदेशालय से व्यय हेतु जारी स्वीकृति के अनुसार ही व्यय किया जायेगा। समस्त आहरण वितरण अधिकारी पूल में उपलब्ध बजट प्रावधान का व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करेगें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2023–24 / 20 दिनांक :– 12-04-2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग.........
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. उपनिदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
4. उपनिदेशक (समाजशिक्षा), कार्यालय हाजा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / विधि.........
6. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
9. प्रबंधक, गुरूनानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर।
11. प्रधानाचार्य, मूक बधिर अंध विद्यालय, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा।
12. प्रधानाचार्य, प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर।
13. समस्त प्रधानाचार्य, राउमावि / राबाउमावि / महा. गांधी राजकीय विद्यालय.........
14. संबंधित अधिकारी / प्रभारी.....................
15. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते